

पत्रांक - वि.प.अ.प्र.-236/2015- 101

(1)वि.प.

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

प्रेषक - श्री ध्रुव नारायण पाठक
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह, सदस्य, बिहार विधान परिषद्
श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार
श्री नीतीश कुमार, नेता, जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल, बिहार विधान परिषद्


पटना, दिनांक 14-1-2016

विषय : माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की सदस्यता से निरहृत करने से संबंधित याचिका पर माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा दिए गए लिखित आदेश की प्रति का प्रेषण।

महोदय,

बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहृता) नियम, 1994 के नियम 8(1)(ख) के आलोक में उपर्युक्त विषय से संबंधित माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश की प्रति संलग्न की जाती है।

संलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन,

(ध्रुव नारायण पाठक)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के प्रावधान के आलोक में माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल की याचिका दिनांक 2-11-2015 के आलोक में माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित किए जाने संबंधी वाद पर न्याय निर्णय

दिनांक 14-1-2016

इस वाद का आरंभ श्री संजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 2-11-2015 के आधार पर किया गया। श्री संजय कुमार सिंह को आवेदन समर्पित करने हेतु श्री नीतीश कुमार, नेता, जनता दल (यू) के द्वारा अधिकृत किया गया है।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई समाप्त होने के उपरान्त आदेश के ऑपरेटिव पार्ट की उद्घोषणा करते हुए श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित घोषित किया गया है एवं यह भी स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत सकारण आदेश दिनांक 14-1-2016 को पारित किया जाएगा। यहां मैं यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि ऑपरेटिव पार्ट में तथ्यों की भूल (Mistake of facts) के कारण यह अंकित हो गया है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। वस्तुतः श्री सम्राट चौधरी महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत उम्मीदवार के रूप में बिहार विधान परिषद् के सदस्य बने हैं। बिहार विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत होने के उपरान्त संविधान में विहित प्रावधानों के अंतर्गत उन्होंने लिखित रूप से जनता दल (यू) की सदस्यता ग्रहण की और इस प्रकार वह बिहार विधान परिषद् में जनता दल (यू) के सदस्य बने हैं। ऑपरेटिव पार्ट में तथ्यों की भूल इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

श्री संजय कुमार सिंह ने अपने आवेदन में यह कहा है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। मनोनयन के उपरान्त उन्होंने जनता दल (यू) की सदस्यता ग्रहण कर लिया। जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए वह श्री जीतन राम मांझी एवं कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा गठित हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (इस आदेश में 'हम' के नाम से दिखलाया जाएगा) दल के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई। माननीय सदस्य इस नए राजनीतिक दल की बैठकों, राजनीतिक सभाओं एवं रैलियों में लगातार सम्मिलित होते रहे हैं। आवेदक ने अपने आवेदन में आगे उल्लेख

किया है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के पिता श्री शकुनी चौधरी 'हम' के प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं बिहार विधान सभा के चुनाव में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से 'हम' पार्टी के प्रत्याशी थे। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के भाई श्री राजेश कुमार उर्फ रोहित कुमार खगड़िया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी थे। श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने अपने पिता के समर्थन में प्रचार-प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 'हम' एक घटक दल है और इस गठबंधन के अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने प्रचार-प्रसार में हिस्सा लिया है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि इस प्रकार श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार भारत के संविधान की धारा 191 सह पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निर्हरित हो चुके हैं एवं उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें निर्हरित घोषित करने की कृपा की जाए। बिहार विधान परिषद् में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का वर्तमान कार्यकाल दिनांक 23-5-2020 को समाप्त हो रहा है।

श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन का संज्ञान लेते हुए श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को दिनांक 3-11-2015 को नोटिस प्राप्त कराया गया और अनुरोध किया गया कि नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करें। उन्होंने न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही उपस्थित हुए। जवाब प्रस्तुत नहीं करने के बाद दिनांक 9-11-2015 को इस पर विचार किया गया और उन्हें पुनः एक और नोटिस देकर अनुरोध किया गया कि दिनांक 19-11-2015 को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हों। दिनांक 19-11-2015 को माननीय सदस्य की ओर से प्रेषित पत्र दिनांक 19-11-2015 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि परिषद् सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है जबकि परिषद् सचिवालय द्वारा विशेष दूत से पत्र प्रेषित किया गया था। उन्हें पुनः नोटिस भेजा गया और अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 24-11-2015 को अपना पक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 24-11-2015 को माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि विधिक विवेचना हेतु चार सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद उन्हें दिनांक 1-12-2015 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया। उक्त तिथि को वे न तो स्वयं उपस्थित हुए और न उनका कोई पत्र आया। पुनः दिनांक 5-12-2015 को श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने अनुरोध किया कि वे अस्वस्थ हैं और स्वस्थ हो जाने तक के लिए समयावधि का विस्तार किया जाए। इस आवेदन पर विचार किया गया एवं उन्हें दिनांक 9-12-2015 को उपस्थित होने के लिए समय निर्धारित की गई। पुनः श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार ने दिनांक 9-12-2015 को पत्र भेजकर सूचित किया कि वे अभी भी अस्वस्थ हैं अतएव 30 दिनों का और समय दिया जाए। इस पत्र पर निर्णय लिया गया कि उन्हें अपना पक्ष



रखने के लिए एक और मौका दिया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे दिनांक 14-12-2015 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। पुनः दिनांक 14-12-2015 को श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी अस्वस्थता का जिक्र कर तीन सप्ताह का और समय मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई दिनांक 23-12-2015 को निर्धारित की गई। दिनांक 22-12-2015 को माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि बीमार होने के कारण वे स्वयं उपस्थित होने से असमर्थ हैं। पटना उच्च न्यायालय में चूंकि अवकाश हो गया है अतएव अधिवक्ता बाहर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी माह का कोई समय दिया जाए ताकि वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकें। इस बाद पर अगली सुनवाई की तिथि 4-1-2016 को निर्धारित करते हुए निर्णय लिया गया कि श्री सम्राट चौधरी को सूचित कर दिया जाए कि माननीय सदस्य स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में भाग लें। यदि उक्त तिथि को वे सुनवाई में भाग नहीं लेते हैं तो एकतरफा सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। दिनांक 4-1-2016 को उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह ने सुनवाई में भाग लिया गया और पुनः समय की मांग की। इस पर अब और समय देना उचित नहीं था फिर भी विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिनांक 6-1-2016 का समय निर्धारित किया गया। विद्वान अधिवक्ता से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपना रिटैन स्टेटमेंट भी समर्पित कर दें और अपने मुवक्किल के पक्ष में जो कुछ भी कहना हो, उस दिन कह सकते हैं। श्री संजय कुमार सिंह के विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने जोर दिया कि श्री सम्राट चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए काफी समय दिया जा चुका है और अब और अधिक समय देना उचित नहीं है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का एक उद्धरण दिया :

As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of para 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntary giving up, by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, the fact that the Speaker takes the decision only thereafter in



those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-second Amendment of the Constitution and on a true understanding of para 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post fact.

जैसा कि ऊपर अंकित है इस वाद की नोटिस श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार को दिनांक 3-11-2015 को ही उपलब्ध कराया गया जिस प्राप्ति को उन्होंने मानने से इनकार किया। उनकी बात स्वीकार कर भी ली जाए तो उन्हें दिनांक 9-11-2015 और दिनांक 19-11-2015 को इस वाद की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। यद्यपि श्री चौधरी परिषद् की समिति की बैठकों में उपस्थित हुए परन्तु उन्होंने अपनी अस्वस्थता के आधार पर लगातार समय का अनुरोध किया जिसे स्वीकार किया गया। अंततोगत्वा दिनांक 23-12-2015 को यह स्पष्ट किया गया कि समय दिया जाना न्यायहित में नहीं होगा और सुनवाई की अगली तिथि तक अगर श्री चौधरी उपस्थित होकर अपना बचाव नहीं करते हैं तो वाद की एक तरफा सुनवाई की जाएगी। दिनांक 6-1-2016 को श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति कर वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया। आवेदन में आपत्ति का आधार यह है कि माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह का आवेदन भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम 6 एवं 7 के अनुरूप नहीं है और न तो शपथ पर समर्पित है और न ही दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुरूप सत्यापित है। विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने उक्त प्रारंभिक आपत्ति का प्रतिवाद करते हुए यह कहा कि यह निर्मूल एवं आधारहीन है और वाद के निष्पादन को विलंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रकार की आपत्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रवि एस.नायक एवं डॉ० महाचन्द्र प्रसाद सिंह के न्याय निर्णयों में नियम 6 एवं 7 की व्याख्या की है एवं आपत्ति को निराधार पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस न्यायाधिकरण द्वारा हाल ही में डॉ० महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में इस प्रकार



की आपत्ति को अस्वीकार किया गया।

दिनांक 6-1-2016 को सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रारंभिक आपत्ति एवं गुण दोष के आधार पर समेकित आदेश के द्वारा वाद का निष्पादन किया जाएगा। तदोपरान्त श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलाकान्त उपाध्याय ने एक लिखित उत्तर समर्पित किया है। उसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार जनता दल (यू) के सदस्य थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने 'हम' की सदस्यता कभी ग्रहण नहीं किया। आवेदन के साथ सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचना संलग्न है जिसमें 'हम' के पदाधिकारी ने यह सूचना दी है कि श्री चौधरी 'हम' के सदस्य नहीं हैं। जहां तक विज्ञापन में श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के स्टार प्रचारक की भूमिका का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कहा गया है कि पहली बार उन्हें दिनांक 4-1-2016 को इस तथ्य की जानकारी हुई कि उन्हें प्रचारक के रूप में दर्शाया गया है। यह तथ्य उनके संज्ञान में नहीं था और इस मामले पर कानूनविदों से सलाह कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।

लिखित उत्तर का सारांश यह है कि श्री चौधरी ने अपने को 'हम' के साथ जुड़ने की बात को सिरे से नकारा है। 'हम' के स्टार प्रचारक के संबंध में उन्हें यह कहना है कि यह उनकी बिना सहमति के हुई है एवं इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

श्री संजय कुमार सिंह के विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने विद्वान अधिवक्ता श्री उपाध्याय द्वारा समर्पित प्रारंभिक आपत्ति को निर्मूल एवं निराधार बतलाया और यह कहा कि इस प्रकार की आपत्ति का उद्देश्य सुनवाई को टालने के लिए किया गया है। उनका यह कहना है कि जिन विन्दुओं की चर्चा श्री उपाध्याय ने की है, उसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रवि एस.नायक एवं डॉ० महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में विस्तृत व्याख्या की है। श्री पी.के.शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार है :

पृष्ठ-111, पाराग्राफ-16 में वर्णित है: 16. Sub-Rule (1) of Rules 6 says that no reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in



accordance with the provisions of the said Rule and Sub-rule (6) of the same Rule provides that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure for the verification of pleadings. The heading of Rule 7 is 'PROCEDURE'. Sub-Rule (1) of this Rule says that on receipt of petition under Rule 6, the Chairman shall consider whether the petition complies with the requirement of the said Rule and sub-Rule (2) says that if the petition does not comply with the requirement of Rule 6, the Chairman shall dismiss the petition. These rules have been framed by the Chairman in exercise of power conferred by paragraph 8 of Tenth Schedule. The purpose and object of the Rules is to facilitate the job of the Chairman in discharging his duties and responsibilities conferred upon him by paragraph 6, namely, for resolving any dispute as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Tenth Schedule. The Rule being in the domain of procedure, are intended to facilitate the holding of inquiry and not to frustrate or obstruct the same by introduction of innumerable technicalities. Being subordinate legislation, the Rules cannot make any provision which may have the effect of curtailing the content and scope of the substantive provision, namely, the Tenth Schedule. There is no provision in the Tenth Schedule to the effect that until a petition which is signed and verified in the manner laid down in the CPC for verification of pleadings is made to the Chairman or the Speaker of the House, he will not get the jurisdiction to give a decision as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule. Paragraph 6 of the Schedule does not contemplate moving of a formal petition by any person for assumption of jurisdiction by the Chairman or the Speaker of the House. The purpose of Rules 6 and 7 is only this much that the necessary facts on account of which a member of the House becomes disqualified for being a member of the House under paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman. There is no lis between the person moving the petition and the member of the House who is alleged to have



incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he may be required to lead evidence. Even if he withdraws the petition it will make no difference as the duty is cast upon the Chairman or the Speaker to carry out the mandate of the Constitutional provision, viz. the Tenth Schedule. The object of Rules 6 which requires that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the CP/C for the verification of pleadings, is that frivolous petitions making false allegations may not be filed in order to cause harassment. It is not possible to give strict interpretation of Rules 6 and 7 otherwise the very object of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act by which Tenth Schedule was added would be defeated. A defaulting legislator, who has otherwise incurred the disqualification under paragraph 2, would be able to get away by taking the advantage of even a slight or insignificant error in the petition and thereby asking the Chairman to dismiss the petition under sub-rule (2) of Rule 7. The validity of the Rules can be sustained only if they are held to be directory in nature as otherwise, on strict interpretation, they would be rendered ultra vires.

श्री शाही ने यह भी बतलाया कि हाल में ही डॉ० महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में श्री मंगलम ने इसी प्रकार की आपत्ति की थी, जिसे अस्वीकृत किया गया है।

मैं विद्वान परामर्शी श्री पी.के. शाही की दलील से पूर्णतया सहमत हूँ कि इस वाद का निस्तारण श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। नियम 6 एवं 7 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो व्याख्या है, उसके अनुरूप वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित होगा।

विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने यह कहा कि श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के लिखित उत्तर के जवाब में उन्हें लिखित रूप में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने यह कहा कि गत् विधान सभा चुनाव से पूर्व एवं चुनाव के दौरान श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार की भूमिका सार्वजनिक रूप से ज्ञात है। यह पूरे राज्य को मालूम है



